हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन, संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति) | माननीय श्री अशोक कुमार सिंह, संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल) | माननीय श्री भागीरथ शर्मा, संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 65243 दिनांक : 16.06.2023

श्रीमान अशोक गहलोत साहेब,
माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार
जयपुर– 302005

विषयः– **NEET 2023** के आरक्षण पीड़ित सफल अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता देने बाबत।

संदर्भः– देश के निष्ठावान आरक्षण पीड़ित नागरिकों को न्याय दिलवाने बाबत।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि **NEET 2023 (MBBS** प्रवेश परीक्षा) का परीक्षा परिणाम अभी हाल ही में जारी किया गया है। इस परीक्षा में पूरे देश भर के सरकारी और निजी मेड़िकल कॉलेजों की एम.बी.बी.एस. की प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए सभी रिक्त सीटों का एक साथ परिणाम जारी किया गया है। यह सर्वविदित है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज से एम.बी.बी.एस. कोर्स करने की फीस और निजी मेडिकल कॉलेजों से एम.बी.बी.एस.कोर्स करने की फीस में 10 से 20 गुणा का अन्तर है। उदाहरण स्वरूप यदि सरकारी मेडिकल कॉलेज से एम.बी.बी.एस. कोर्स करने का खर्चा यदि पांच लाख रूपये है तो निजी मेडिकल कॉलेजों से एम.बी.बी.एस. कोर्स करने का खर्चा 50 लाख रूपये से एक करोड़ रूपये तक आता है एवं अनेक मेडिकल कॉलेजों में तो ये खर्चा 02–03 करोड़ रूपये तक भी होने की जानकारी मिली है।

हम आपका ध्यान देश के उन आरक्षण पीड़ित होनहार, निष्ठावान छात्रों की ओर आकर्षित करना चाहते है जो अपनी मैरीट और रेंक के आधार पर पूरे देश में किसी न किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के हकदार है। अर्थात उनकी मैरीट और रेंक पूरे देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रथम वर्ष की सभी रिक्त सीटों की कुल संख्या के अन्दर है। उदाहरणार्थ यदि पूरे देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रथम वर्ष में कुल 50,000 सीटें हैं तो इन 50,000 की मैरीट या रेंक तक अंक लाने वाले मेरिटोरियस बच्चों को देश के किसी ना किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने का निश्चित तौर पर विधिक और संवैधानिक मूल अधिकार प्राप्त है।

दुर्भाग्य से सरकार की आरक्षण नीति के कारण उपरोक्त होनहार कुशाग्रबुद्धि युवाओं में से आधे से अधिक युवाओं को निजी मेडिकल कॉलेजों में धकेल दिया जाता है। ऐसे धकेले गये युवाओं के पास केवल दो ही रास्ते बचते है, या तो वे 10–20–30 गुणा तक खर्चा वहन कर निजी मेडिकल कॉलेजों से एम.बी.बी.एस. का कोर्स करे या यदि उनके अभिभावक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो पुनः नीट की परीक्षा देने की तैयारी में जुट जाए। दोनों ही अवस्थाओं में देश के हजारों होनहार, योग्यतम युवाओं के साथ अविधिक एवं असंवैधानिक अन्याय और भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे होनहार युवाओं की कोई गलती नहीं है, उनका कोई अपराध नहीं है, वे भी समानता का मूल अधिकार प्राप्त देश के निष्ठावान नागरिक है। देश के ऐसे निष्ठावान, होनहार युवाओं को अकारण आर्थिक रूप से दंडित किया जाना अथवा उन्हें उनकी ईच्छा के कोर्स और कॉलेज से वंचित किया जाना अमानवीय, अन्यायपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार का ऐसा उदाहरण है, जिसके लिए भारतीय संविधान अनुमति नहीं देता है।

(लगातार—– 2)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति) | माननीय श्री अशोक कुमार सिंह संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल) | माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक दिनांक :

यह सर्वविदित तथ्य है कि सार्वजनिक हित में सरकार किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों का अपहरण कर सकती है। लेकिन यह भी सर्वविदित तथ्य और स्थापित कानून है कि सार्वजनिक हित में अथवा सरकारी कार्यवाही के दौरान किसी नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है या अपहरण होता है या उसे किसी भी तरह का नुकसान होता है तो सरकार उस पीड़ित व्यक्ति को बाजार मूल्य या उससे अधिक से क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। चूंकि हमारे देश में समाज कल्याणवादी प्रजातांत्रिक सरकार की व्यवस्था है, कोई तानाशाही या राजशाही व्यवस्था नहीं है, इसलिए मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा में मैरीट और रेंक के हिसाब से जो अभ्यर्थी सरकारी कॉलेजों में प्रवेश का अधिकार पा चुके है उन्हें सरकारी आरक्षण निती के कारण यदि निजी मेडिकल कॉलेजों में धकेला जाता है तो उनके निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के एम.बी.बी.एस. कोर्स के खर्च की अन्तर राशि सरकार सार्वजनिक राहत कोष से देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। कोई भी सरकार अपनी किसी भी नीति के कियान्वयन का सम्पूर्ण बोझ किसी भी एक निरपराध नागरिक के उपर नहीं डाल सकती है।

अतः हमारी प्रार्थना है कि :—

1. नीट 2023 का परीक्षा परिणाम इस प्रकार जारी किया जावे जिससे यह स्पष्ट हो जावे कि कुल कितने अभ्यर्थी देश के किसी न किसी सरकार मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के अधिकारी है।
2. उपरोक्त संख्या में से जितने अभ्यर्थी सरकार की आरक्षण नीति के कारण निजी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए बाध्य किये जा रहे है उन्हें सरकार की ओर से निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के खर्च/फीस की अन्तर राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाये ताकि समानता का मूल अधिकार सही अर्थों में देश के होनहार युवाओं को भी मिल सके।

कृपया उपरोक्तानुसार आदेश तत्काल जारी करवाकर अनुग्रहित करे। त्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद।

भवदीय,

पाराशर नारायण
अध्यक्ष

क्रमांक 65244-65443

प्रतिः—

सभी राजस्थान विधानसभा के सम्मानीय विधायकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।

पाराशर नारायण
अध्यक्ष